(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I खण्ड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 22/2015–2020
दिनांकः 6 सितम्बर, 2021

विषयः म्यान्मार से उड़द और तूर के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन के संबंध में।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत द्वारा 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात के लिए भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) संबंधी दिनांक 24 जून, 2021 की सार्वजनिक सूचना सं. 09/2015–20 की निरंतरता में, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा समझौता ज्ञापन के उपर्युक्त प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए प्रक्रिया/तौर तरीके निर्धारित करते हैं।

2. भारत गणराज्य की सरकार और म्यान्मार संघ गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के अनुसरण में, भारत आगामी पांच वित्तीय वर्ष अर्थात् 2021–22 से 2025–26 (अप्रैल से मार्च) के दौरान निजी व्यापार के माध्यम से आयात की जाने वाली म्यान्मार उद्गम के 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर का वार्षिक कोटा प्रदान करने हेतु सहमत हो गया है।

3. तदनुसार, राजकोषीय वर्ष 2021–22 के दौरान म्यान्मार से आयात किए जाने वाले 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर को निम्नलिखित शर्तों के अधीन आयात की अनुमति दी जाती हैः–

क. आयात केवल निम्नलिखित 5 पत्तनों के रास्ते अनुमत होगाः (i) मुम्बई (ii) तुतीकोरिन (iii) चेन्नई (iv) कोलकाता और (v) हजीरा।

(ख) आयात म्यान्मार सरकार द्वारा दिए गए स्टांप युक्त व्यापार विभाग, वाणिज्य मंत्रालय के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ताओं द्वारा प्रमाणित "उद्गम प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगा, जिसे उपर्युक्त पत्तनों के संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों और सीबीआईसी के साथ साझा किया जा रहा है।

ग. उद्गम प्रमाण–पत्र प्रदान करते समय (जिसमें दालों के निर्यातक, आयातक और मात्रा का ब्यौरा शामिल है) नामित प्राधिकारी प्रमाणपत्र की एक स्कैन की हुई प्रति ई–मेल आईडीः policy2-dgft@gov.in को भेजेगा।

घ. यहां भारत में आयातक अपने आईईसी ब्योरों सहित यथोक्त जारी प्रमाणपत्र की स्कैन की हुई प्रति उपर्युक्त ई–मेल पते पर ही अर्थात् policy2-dgft@gov.in पर अनापति प्रमाणपत्र के लिए डीजीएफटी को मेल भेजेगा। डीजीएफटी इन दोनों दस्तावेजों का मिलान करेगा और आवेदक आयातक को अनापति प्रमाणपत्र देगा जिसके आधार पर सीमाशुल्क विभाग खेप की निकासी करेगा।

4. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः म्यान्मार से 250,000 मीट्रिक टन उड़द और 1,00,000 मीट्रिक टन तूर के आयात हेतु प्रक्रिया/तौर तरीके को निर्धारित किया गया है।

अमित यादव
06/09/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एंव
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

[(फा० सं० एम–5012/300/2002–पीसी 2(क) /पार्ट–I (ई–2578 से जारी)]